दैनिक भास्कर बिलासपुर 13-09-2025

हाई कोर्ट का अहम ...

सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की गई। याचिका में चिकित्सा शिक्षा विभाग की 10 दिसंबर 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। इस अधिसूचना में 2013 के भर्ती नियमों को दरकिनार करते हुए प्रोफेसर के पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए एक बार की छूट दी गई थी। इसके मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कालेजों में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर पदों की सीधी भर्ती में संविदा शिक्षकों को आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया में बोनस अंक देने का प्रावधान था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 के नियम 6 के तहत प्रोफेसर का पद 100% पदोन्नति से ही भरा जा सकता है। इन नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए एक अधिसूचना के माध्यम से इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यह असंवैधानिक और मनमाना होने के साथ ही कर्मचारियों के पदोन्नति के अधिकार का उल्लंघन करता है।

हाई कोर्ट ने नामंजूर किए सरकार के तर्कः हालांकि, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया। फैसले में कहा कि नियम 22 के तहत छूट देने की शक्ति भर्ती के मूल प्रावधानों को बदलने के लिए नहीं है। यह शक्ति केवल सेवा की शर्तों तक ही सीमित है। कोई भी अधिसूचना 100% पदोन्नति के वैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती।